2090
शिक्षा जी
नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें
जि०वि०नि०
फिरोजाबाद
25/7/24

6555/OSD
D105

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल,आगरा।

सेवा मे,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार नई दिल्ली।

जिलाधिकारी
फिरोजाबाद
23/07/24

पत्रांकः सी०बी०एस०ई०/एनओसी/ 5896-96 /2024–25 दिनांक 22/07/24

विषयःएवेन्यूज द इण्टरनेशनल स्कूल,जलेसर रोड,ककरऊ, फिरोजाबाद का नाम जी०डी० गोइन्का पब्लिक स्कूल,जलेसर रोड,ककरऊ,फिरोजाबाद मे परिवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन०ओ०सी०) प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1916(1)/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के अनुपालन मे गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 03.07.2024 मे लिये गये निर्णयानुसार उक्त सन्दर्भित विद्यालय एवेन्यूज द इण्टरनेशनल स्कूल,जलेसर रोड,ककरऊ,फिरोजाबाद का नाम जी०डी० गोइन्का पब्लिक स्कूल,जलेसर रोड,ककरऊ,फिरोजाबाद मे परिवर्तित किये जाने के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन निर्गत किया जाता है।

(क)–विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख)–विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग)–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ)–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली/काउसिंल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वत समाप्त हो जायेगी।

(ड)–संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

(च)–कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ)–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(ज)–विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जा रही है तथा भविष्य मे भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

(झ)–विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ)–उपर्युक्त कम क से झ मे कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नही दिया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त कम क से ज तक के प्रतिबन्धों की सोसाइटी के बाइलॉज मे सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्थान के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बरती जाती है तो विद्यालय नाम परिवर्तन हेतु यह प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(आर०के० शर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल आगरा।

पृ०सं० सी०बी०एस०ई० / एनओसी / 5890-96 / 2024-25 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,माध्यमिक शिक्षा–7 अनुभाग,लखनऊ।
2–आयुक्त,आगरा मण्डल,आगरा।
3–जिलाधिकारी,फिरोजाबाद।
4–शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0,लखनऊ।
5–जिला विद्यालय निरीक्षक,फिरोजाबाद।
6–प्रबन्धक–जी0डी0 गोइन्का पब्लिक स्कूल,जलेसर रोड,ककरऊ,फिरोजाबाद।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल आगरा।